# बिहार सरकार

## विधि विभाग

**बीड़ी एवं सिगार कामगार (सेवा शर्त्त) अधिनियम, 1966 (1966 का 32) (संशोधन) विधेयक 2018**

**बीड़ी एवं सिगार कामगार (सेवा शर्त्त) अधिनियम, 1966 (1966 का 32) (संशोधन) विधेयक, 2018**

## विषय सूची

**खण्ड।**

**1** संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।

**2** बीड़ी एवं सिगार कामगार (सेवा शर्त्त) अधिनियम, 1966 की धारा 4 (क) में संशोधन।

**3** व्यावृति।

**बीड़ी एवं सिगार कामगार (सेवा शर्त्त) अधिनियम,1966(1966 का 32)(संशोधन) विधेयक 2018**

**बीड़ी एवं सिगार कामगार (सेवा शर्त्त) अधिनियम, 1966 (1966 का 32) की धारा 4 (क) का संशोधन करने के लिए विधेयक।**

**प्रस्तावनाः–** चूंकि, बिहार राज्य में कारोबारी सुगमता एवं स्वस्थ्य वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु बीड़ी एवं सिगार कामगार (सेवा शर्त्त) अधिनियम, 1966 (1966 का 32) की धारा 4 के अन्तर्गत निर्गत किये जाने वाले लाईसेंस की वैद्यता को बढ़ाया जाना आवश्यक है।

अतः बीड़ी एवं सिगार कामगार (सेवा शर्त्त) अधिनियम 1966 (1966 का 32) की धारा 4 में राज्य संशोधन किया जाना आवश्यक है।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

**1 संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभः–(1)** यह अधिनियम बीड़ी एवं सिगार कामगार (सेवा शर्त्त) (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

(2) यह अधिनियम तत्काल प्रभाव से प्रवृत होगा।

**2 बीड़ी एवं सिगार कामगार (सेवा शर्त्त) अधिनियम (1966 का 32) 1966 की धारा 4 में संशोधनः–** बीडी एवं सिगार कामगार (सेवा शर्त्त) अधिनियम (1966 का 32), 1966 की धारा 4 (क) मुख्य भाग निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

(क) इस अधिनियम या अन्य अधिनियम, अध्यादेश, नियम या न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री में किसी बात के प्रतिकुल होते हुए भी धारा – 4 के अधीन निर्गत अनुज्ञप्ति की वैद्यता निर्गत होने की तिथि से पाँच वर्षो की होगी एवं यह वैद्यता पाँचवें वर्ष में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक वैद्य होगा एवं इस अवधि की समाप्ति के पश्चात् नवीकृत लाईसेंस की वैद्यता भी अगले पाँच वर्ष की होगी, जो नवीकृत अवधि के पाँचवें वर्ष में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक वैद्य होगी।

**3 व्यावृत्तिः–** अधिनियम की धारा 4 (क) में संशोधन होते हुए भी, पूर्व में किया गया कुछ भी या विनिश्चय और की गई कार्रवाई विधि पूर्ण किया गया समझा जाएगा या समझी जाएगी और अधिनियम की धारा 4 (क) के प्रतिस्थापन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा या की जाएगी।

**The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 (32 of 1966)**

**To amend the The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 (32 of 1966) Section-04 (a)**

**Preamble:-** Whereas, it is expedient to enhance the validity of the license granted under the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 (32 of 1966) for ease of doing business and healthy commercial activities.

Now therefore, it is necessary to amend sction-4 of the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 (32 of 1966)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty eight years of the Republic of India as follows.

**1.Short title and Commencement-** This Act may be called The Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 (32 of 1966) (Amendment) Act, 2018

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendment in Section-4 of the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 (32 of 1966)-** The main part of section-4 (a) of the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 (32 of 1966) shall be substituted by the following.

(a) Notwithstanding any provisions of the Act, or other Act, ordinance , rules or decree of any Court of law the License granted under section-4 shall remain valid for five years from date of issue and its validity will expire on the last day of the financial year of the fifth year. After the Completion of five years the license may be renewed for another five years and renewed license will be valid till the last day of the financial year of the fifth year.

3. **Saving-** Notwithstanding the amendment made in section-4 (a) of this Act, anything done or decision or action taken prior to it shall be deemed to have been validly done or taken and shall not be questioned on the ground of amendment.